

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-03/विविध-07-128/2014...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.81 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	स्व. शंभू शरण सिंह जे 5220/02.01.46/ कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी/ 02.02.79	02.02.89	5564/27.08.90	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी को स्व. शंभू शरण सिंह, कनीय अभियंता का मूल सेवापुस्त दो भाग के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु - मघोम्ह

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

8330

राँची, दिनांक :- 16-10-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।